


18.07.2025

पत्रावली पेश हुई। वकुलायन फरीकेन उपस्थित।
उभयपक्ष को तहसीलदार राजस्व बीकानेर द्वारा प्राप्त खाता
विभाजन प्रस्ताव पर सुना गया। वादी उपस्थित, प्रतिवादी
संख्या 1 ता 3 उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 4 को खाता
विभाजन प्रस्ताव पर उपस्थित होने बाबत सम्मन जारी किया
गया था, सम्मन इंकारी की रिपोर्ट के साथ प्राप्त। प्रतिवादी
संख्या 4 के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी
जाती है। प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 द्वारा जवाबदावा मय
काउंटर क्लेम प्रस्तुत कर कथन किया गया कि जैर वाद
कृषि भूमि का खाता विभाजन बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के
आधार पर किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 को
किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है। पत्रावली व प्रस्तुत प्रस्ताव
का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। हमने वाद पत्र व वाद
पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया। उक्त
विवेचन के आधार पर वाद वादी व जवाबदावा मय काउंटर
क्लेम प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 स्वीकार किया जाकर ग्राम
नालबड़ी, बीकानेर के खसरा नंबर 496/2 तादादी 3.3600
हैक्टर, खसरा नंबर 496/4 तादादी 6.2620 हैक्टर कुल
खसरे 2 कुल तादादी 9.6220 हैक्टर भूमि में वादी एवं
प्रतिवादी के मध्य उनके हक व हिस्सानुसार खाता विभाजन
किए जाने के आदेश दिए जाते है। विस्तृत निर्णय पृथक
से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली हो। अंतिम डिक्री पर्चा
जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तरतीब तक्मील
दाखिल दफ्तर हो।


सहायक कलक्टर
बीकानेर शहर